



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-26102026-277438
CG-UP-E-26102026-277438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5571]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5571]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 26 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5789(अ).—रेल संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा “ उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 373 किमी. 372/6-7 के मथुरा-अछनेरा सेक्शन और लेवल क्रॉसिंग गेट नं. 547 किमी.1435/20-22 के मथुरा —पलवल सेक्शन के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण ” को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। यह अधिसूचना राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एनसीआर एजीसी शून्य जीएसयू (इंजी.)/10/2026/ओ/ओ सीपीएम/जीएसयू/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या 205432)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Gati Shakti Unit)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 26th October, 2026

S.O. 5789(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of 02 Lane Road Over Bridge in place of LC No. 373 at Km 372/6-7 in MTJ-AH section & LC No. 547 at Km 1435/20-22 in MTJ-PWL section of Agra Division of North Central Railway” as a Special Railway Project for acquisition of land in “Mathura” district in the State of Uttar Pradesh, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. NCR-AGC0GSU(Engg)/10/2026-O/o CPM/GSU/AGC (Computer No. 205432)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative officer /C